राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(263) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/E.O.-92279 जयपुर, दि. 07 ~~मई~~ जून, 2017

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– बीएसआर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन/संशोधन/नवीन प्रावधान के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि बीएसआर सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन/नवीन प्रावधान किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. जिला दर निर्णायक समिति बून्दी की अनुशंषा पर सडक कार्य हेतु सामग्री "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी बाजार में उपलब्ध नही होने की स्थिति में सामग्री सूची में अंकित विवरण "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी (वोइड्स काटे 1/11)" के साथ–साथ **"63–40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई पत्थर की रोडी (वोइड्स काटे 1/11)" का अतिरिक्त आईटम क्र. सं. 7.1 पर** जोडा गया है, जिसकी दर जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित की जानी है। तद्नानुसार इसके उपयोग से संबंधित आइटम दर विश्लेषण एवं दर अनुसूची (बीएसआर) में क्रम संख्या– 136 (र) पर जोड़ा गया है। सामग्री की दर के इन्द्राज के पश्चात् दर विश्लेषण व बीएसआर में पूर्ण आइटम प्रदर्शित होगा।
2. विभागीय पत्रांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16 E.O. No. 92275 दिनांक 13.04.2017 के द्वारा पक्के निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिक (For RD Schemes) के नियोजन करने की स्थिति में अर्द्धकुशल श्रमिक की दर, निर्धारण करने के लिए जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति अधिकृत है। अर्द्धकुशल श्रमिक (For RD Schemes) का आईटम बीएसआर सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया गया है।
3. बीएसआर सृजन (एम.आई.एस.–फॉर्मेट 4) में **प्रस्तावित बीएसआर** एवं **पूर्व की अनुमोदित बीएसआर** दोनों के सृजन हेतु प्रावधान किया है।
4. परिपत्र/आदेश/दिनांकवार पूर्व की अनुमोदित दरों के रिपोर्टस–फॉर्मेट 9, 10 एवं 11 पर अवलोकन/सृजन का प्रावधान किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

6.6.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
5. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)